

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 227/2024

अनवान :-

1. रामस्वरूप पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र सुरजाराम पौत्र बरती जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. लक्ष्मी देवी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. मुख्खी देवी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. कलावती पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. सुखी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. सावित्री पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. गोमा पत्नी हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. भजनलाल वर्मा पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. विजय कुमार पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बरानी के खाता सं० 89 के खसरा सं० 278 की 4.047है०, खसरा सं० 279 की 3.516है०, खसरा सं० 310 की 4.742है०, खसरा सं० 312 की 8.030है०, खसरा सं० 313 की 3.718है०, खसरा सं० 314 की 9.814है०, खसरा सं० 327 की 4.237है०, खसरा सं० 328 की 1.720है०, खसरा सं० 329 की 1.568है०, खसरा सं० 330 की 1.518है०, खसरा सं० 331 की 2.883है०, खसरा सं० 332 की 2.883है० कुल रकबा 48.676है० बरानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 2029/97352 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बरानी के खाता सं० 85/146 के खसरा सं० 108 की 1.770है०, खसरा सं० 308 की 3.516है०, खसरा सं० 311 की 3.958है०, खसरा सं० 96 की 2.264है०, खसरा सं० 97 की 3.667है०, खसरा सं० 98 की 4.022है० कुल रकबा 19.197है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 160/6399 हिस्सा व रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 130/370 के खसरा सं० 4 की 11.382है०, खसरा सं० 463/4 की 1.467है०, खसरा सं० 8 की 10.547है० कुल रकबा 23.396है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह अकेले के बजाए वादी रामस्वरूप, प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह, प्रतिवादी सं० 9 भजनलाल वर्मा, प्रतिवादी सं० 10 विजय कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1, 9 व 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 - 227 / 2024

अनवान : -

1. रामस्वरूप पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र सुरजाराम पौत्र बस्ती जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. लक्ष्मी देवी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. मुखी देवी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. कलावती पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. सुखी पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. सावित्री पुत्री हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. गोमा पत्नी हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. भजनलाल वर्मा पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. विजय कुमार पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री भानूप्रताप बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21/3/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 89 के खसरा सं0 278 की 4.047है0, खसरा सं0 279 की 3.516है0, खसरा सं0 310 की 4.742है0, खसरा सं0 312 की 8.030है0, खसरा सं0 313 की 3.718है0, खसरा सं0 314 की 9.814है0, खसरा सं0 327 की 4.237है0, खसरा सं0 328 की 1.720है0, खसरा सं0 329 की 1.568है0, खसरा सं0 330 की 1.518है0, खसरा सं0 331 की 2.883है0, खसरा सं0 332 की 2.883है0 कुल रकबा 48.676है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 2029/97352 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 85/146 के खसरा सं0 108 की 1.770है0, खसरा सं0 308 की 3.516है0, खसरा सं0 311 की 3.958है0, खसरा सं0 96 की 2.264है0, खसरा सं0 97 की 3.667है0, खसरा सं0 98 की 4.022है0 कुल रकबा 19.197है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 160/6399 हिस्सा व रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 130/370 के खसरा सं0 4 की 11.382है0, खसरा सं0 463/4 की 1.467है0, खसरा सं0 8 की 10.547है0 कुल रकबा 23.396है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 10 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 11 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा मुन्सरी बारानी व रासलाना वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 89 के खसरा सं० 278 की 4.047है०, खसरा सं० 279 की 3.516है०, खसरा सं० 310 की 4.742है०, खसरा सं० 312 की 8.030है०, खसरा सं० 313 की 3.718है०, खसरा सं० 314 की 9.814है०, खसरा सं० 327 की 4.237है०, खसरा सं० 328 की 1.720है०, खसरा सं० 329 की 1.568है०, खसरा सं० 330 की 1.518है०, खसरा सं० 331 की 2.883है०, खसरा सं० 332 की 2.883है० कुल रकबा 48.676है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 2029/97352 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 85/146 के खसरा सं० 108 की 1.770है०, खसरा सं० 308 की 3.516है०, खसरा सं० 311 की 3.958है०, खसरा सं० 96 की 2.264है०, खसरा सं० 97 की 3.667है०, खसरा सं० 98 की 4.022है० कुल रकबा 19.197है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 160/6399 हिस्सा व रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 130/370 के खसरा सं० 4 की 11.382है०, खसरा सं० 463/4 की 1.467है०, खसरा सं० 8 की 10.547है० कुल रकबा 23.396है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 10 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 10 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 9, 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 89 के खसरा सं० 278 की 4.047है०, खसरा सं० 279 की 3.516है०, खसरा सं० 310 की 4.742है०, खसरा सं० 312 की 8.030है०, खसरा सं० 313 की 3.718है०, खसरा सं० 314 की 9.814है०, खसरा सं० 327 की 4.237है०, खसरा सं० 328 की 1.720है०, खसरा सं० 329 की 1.568है०, खसरा सं० 330 की 1.518है०, खसरा सं० 331 की 2.883है०, खसरा सं० 332 की 2.883है० कुल रकबा 48.676है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 2029/97352 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 85/146 के खसरा सं० 108 की 1.770है०, खसरा सं० 308 की 3.516है०, खसरा सं० 311 की 3.958है०, खसरा सं० 96 की 2.264है०, खसरा सं० 97 की 3.667है०, खसरा सं० 98 की 4.022है० कुल रकबा 19.197है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 160/6399 हिस्सा व रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 130/370 के खसरा सं० 4 की 11.382है०, खसरा सं० 463/4 की 1.467है०, खसरा सं० 8 की 10.547है० कुल रकबा 23.396है० बारानी खातेदारी

अधिकारी (रजिस्टर)
(जिला-हनुमानगढ़)



में प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह अकेले के बजाए वादी रामस्वरूप, प्रतिवादी सं० 1 हरिसिंह, प्रतिवादी सं० 9 भजनलाल वर्मा, प्रतिवादी सं० 10 विजय कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1, 9 व 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पिल शिंदारान)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)